न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी :भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 157/2023

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1. पोलाराम पुत्र नगाराम 2. भंवरलाल पुत्र स्व.गिरधारीराम जातियान–जाट निवासी– नेहरों की ढाणी, तहसील सिणधरी जिला बालोतरा।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिणधरी, जिला बालोतरा

राजस्व अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 11.05.2017 जो उपखंड अधिकारी, सिणधरी के द्वारा प्रकरण संख्या 112/2017 अनवान सरकार बनाम पोलाराम वगैराह में पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1. श्री मोहनलाल खत्री, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री नवल सिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो.सं. एक की ओर से।

निर्णय

दिनांक 18 जून, 2024

अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट के द्वारा उपखण्ड अधिकारी सिणधरी के समक्ष एक प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 131, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम नेहरों की ढाणी, तहसील सिणधरी के विभिन्न खसरान संख्या 117, 114/02, 117/03, 117/02, की रकबा भूमि में से मौके पर रास्ते के उपयोग में आ रही भूमि को गैर मुमकीन रास्ता दर्ज किया जावें। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 11.05.2017 को अपीलाधीन आदेश के द्वारा प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए उल्लेखित खसरान भूमि का संलग्न नजरी नक्शा अनुसार राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित कर दिया। उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष दिनांक 06.11.2018 को पेश की है।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित है। दौरान सुनवाई अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में धारा 05 म्याद अधिनियम के तहत पेश

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

प्रार्थना पत्र में यह कथन किया कि प्रार्थीगण/अपीलान्ट अनपढ व ग्रामीण तबके का है जिसे मियाद के कानून के बारे में अनभिज्ञता है। इसी कारण वे समय पर अधिवक्ता से सम्पर्क स्थापित नहीं कर पाये और समय पर अपील पेश नहीं कर सका। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को सहानुभूमि रखते हुए माफ किया जावे तथा अपील को अन्दर मियांद शुमार की जाकर गुणावगुण पर निर्णित की जावें। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने बाबत विरोध प्रकट किया। अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा म्याद प्रार्थना पत्र में प्रकट किये गये तथ्यों के आधार पर न्यायहित में अपील को अन्दर म्याद शुमार किया जाता है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने उपरोक्त तथ्यों को दोहराते हुए यह भी कथन किया कि रेस्पोडेन्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया उसमें उल्लेखित खसरान भूमि में एक खसरा संख्या 117 रकबा 24.03 बीघा भी है जिसमें से 10 बिस्वा भूमि को गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज करने का आदेश देने में अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी व वाक्याती भूल की है। रेस्पौडेन्ट के द्वारा पेश उक्त प्रार्थनापत्र में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2015 को हवाला दिया है जिसमें राजकीय भूमि में वर्तमान में चल रहे बारहमासी रास्ते/ग्रेवल सडक/डामर सडक जो राजस्व रेकर्ड में रास्ते/सडक के रूप में अभिलिखित नहीं है को रास्ते के रूप में दर्ज करने के निर्देश प्रदान किये गये है। ग्राम नेहरों की ढाणी में एक सडक नेहरों की ढाणी से सारणों की ढाणी तक वर्तमान में चल रही है। उस ग्रेवल सडक को राजस्व रेकर्ड में रास्ते/सडक दर्ज करने हेतु प्रार्थना की थी। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज करते हुए अपीलार्थी/अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया। पत्रावली तलबी में चलते रहते के दौरान ही पत्रावली को राजस्व लोक अदालत अभियान के तहत अटल सेवा केन्द्र आडेल में दिनांक 11.5.2017 को पेश होने पर रेस्पोडेन्टस/प्रार्थी की ओर से लिखित में आपत्ति कर कथन किया कि ख0सं0 117 में एक सडक पहले से मौजूद है और एक सडक काटने का नोटिस प्राप्त हुआ है अतः एक ही खसरे में से पहले से सडक मौजूद होने से और दूसरी सडक निकालने का आदेश नहीं करावें। उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलान्ट की आपत्ति को खारिज करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.05.2017 पारित कर दिया जो निरस्त करने योग्य है।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट के खसरे में जहॉ से रास्ता कायम किया गया है उस रास्ते पर अपीलान्ट की रहवासीय ढाणी व पक्के मकान बने हुए है और यहॉ पर किसी तरह का कोई कच्चा व कदीमी रास्ता नहीं था व न ही है, इसके बावजूद भी नियमों को ताक में रखकर पटवारी व राजस्व अधिकारी के द्वारा गलत रूप से अपीलान्ट के खेत के किनारे से रास्ता निकाले जाने का आदेश दिया है। पटवारी के द्वारा चहेते खातेदारों की भूमि बचाकर गरीब काश्तकारों की भूमि में से रास्ते के प्रस्ताव बनाकर पेश किया गया, जबकि किसी काश्तकार/खातेदार को अपने खेत में आने–जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता होती है तो उन्हें राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत सक्षम न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश करते हुए निर्धारित शुल्क जमा करवाते हुए रास्ते के लिये कार्यवाही करनी चाहिये थी। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.8.2016 के प्रावधानों की गलत व्याख्या करते हुए अपीलान्ट की खातेदारी भूमि में से कोई कदीमी रास्ता संचालित नहीं होते हुए भी रास्ता निकाले जाने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो निरस्त करने योग्य है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अन्त में यह भी कथन किया कि अधीनसथ न्यायालय के द्वारा उसकी खातेदारी खेत के खसरान भूमि में से पूर्व से एक रास्ता संचालित होने के बावजूद भी एक और रास्ता निकाले जाने का आदेश पारित किया गया है जिससे अपीलान्ट जो कि एक गरीब काश्तकार है, को अपनी भूमि की सुरक्षा की दृष्टि से व्यवधान हो रहा है और उक्त रास्ते में जा रही रकबा भूमि से भी हानि हो रही है अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जावें।

प्रत्युतर में रेस्पोडेन्ट ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि तहसीलदार सिणधरी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया जिसमें ग्राम नेहरों की ढाणी से ग्राम सारणों की ढाणी तक के उल्लेखित खेत खसरान में सार्वजनिक कदीमी रास्ता चालू पाये जाने पर जनहित में रास्ता दिये जाने बाबत प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए उक्त रास्ते का अंकन/तरमीम राजस्व रेकर्ड में किये जाने का अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो बहाल रखे जाने योग्य है।

हमने अपीलान्ट के अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता की ओर से की गई बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अपीलाधीन आदेश

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

इत्यादि का अवलोकन किया गया जिससें यह पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार, सिणधरी के द्वारा ग्राम नेहरों की ढाणी से ग्राम सारणों की ढाणी तक के उल्लेखित राजकीय व निजी खेत खसरान की रकबा भूमि में से सार्वजनिक कदीमी रास्ता चालू पाये जाने पर जनहित में रास्ता दिये जाने बाबत प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए उक्त रास्ते का अंकन/तरमीम राजस्व रेकर्ड में किये जाने का अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलान्ट की ओर से अपने खेत में से एक रास्ता पहले से मौजूद होने के आधार पर प्रस्तावित रास्ते हेतु और भूमि नहीं लिये जाने बाबत आपत्ति पेश की थी, जिसके सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो मौके की जॉच करवाई गई और न ही आपत्ति को खारिज किये जाने बाबत कोई कारण पत्रावली में दर्शाया गया है और न ही अपीलार्थीगण को इस बाबत अपना पक्ष रखे जाने का अवसर दिया गया है। इस स्थिति में उपरोक्त ऑब्जवेशनों एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के दृष्टिगत हमारी विनम्र राय में अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.05.2017 को अपीलान्ट के खेत खसरान संख्या 117 की रकबा भूमि की हद तक निरस्त करते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित रहेगा।

अतः उपरोक्त तथ्यों पर मनन करने एवं विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.05.2017 को अपीलान्ट के खेत खसरान संख्या 117 की रकबा भूमि की हद तक निरस्त करते हुए प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त ऑब्जर्वेशनों को मध्यनजर रखते हुए एवं अपीलान्ट के उल्लेखित खसरान भूमि के सम्बन्ध में उभय पक्षकारान की उपस्थिति में मौका जॉच करवाने तथा अपीलान्ट को अपना पक्ष तथा सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात यदि अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार से संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती हो तो पुनः यथोचित आदेश पारित करें। कोई भी पक्ष कदीमी रास्ते को बन्द नहीं करें। निर्णय आज दिनांक 18 जून, 2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर